

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, की धारा 6 (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध,

सेवा में

श्री मान जी

राज्य लोक सूचना अधिकारी

मुख्य कार्यपालक महोदय

ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक विकास गौतम बुद्धनगर नगर

महोदय

प्रश्न 1, यह है कि अवैध रूप से रास्ता बंद करके व कब्जा व रास्ते पर पक्का निर्माण करने एवं ग्रैटर नोएडा प्राधिकरण की भूमि को प्राधिकरण के कर्मचारियों से सांठगांठ करके कब्जा करने के संबंध में दिनांक 4/5/2022/ को डाक पोस्ट के माध्यम से सिकायत की थी,

महोदय, उक्त सिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई की प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने की कृपया करें

संगलगन,

1/पोस्ट आर्डर SF 485105

2/ दिनांक, 04/05/2022/ के पत्र की छाया प्रति,

R.T.I. 20813
PRO-PROJECT (W.C-IV)
15.7.22 कालूराम
14-7-2022
प्रार्थी

नाम, कालूराम पुत्र बलवीर सिंह

ग्राम बिरौंडी चक्र सैनपुर

जनपद गौतम बुद्धनगर नगर

पिनकोड 201310/नंबर, ~~XXXXXXXXXX~~

ईमेल, ~~XXXXXXXXXX@gmail.com~~

49918
14-7-22

सेवा में

श्री मान जी

राज्य लोक सूचना अधिकारी

मुख्य कार्यपालक महोदय ,

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक विकास, गौतम बुद्धनगर नगर,

विषय, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (1) के तहत, 48 घंटों में सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध,

महोदय,

R.T.I - 20812
No - 61 -
15.7.22

1 / यह है प्रिंस नागर पुत्र मनवीर व प्रियंका नागर पुत्री स्व मनवीर सिंह व श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व मनवीर सिंह के द्वारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण औद्योगिक विकास व अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू0अ0) गौतम बुद्धनगर नगर के अधिकारीगण/कर्मचारियों के साथ साज व षणयन्त्र कर प्रार्थी गण व अन्य सहखातेदारो की संयुक्त भूमि खाता संख्या 88, गाटा संख्या 616, क्षेत्रफल 2470 वर्ग मीटर के सापेक्ष में, ग्राम जुनपत भूखंड संख्या 44, क्षेत्रफल 2465, वर्ग मीटर को मृतक मनवीर सिंह द्वारा केवल अपने नाम स्थानान्तरण करने व उक्त भूमि का प्रतिकर अवैध तरीके से मृतक मनवीर सिंह द्वारा प्राप्त करने व मृतक मनवीर सिंह व उसके परिवारजनों के द्वारा अवैध तरीके से दोहरा लाभ प्राप्त करने के संबंध में ,,प्रार्थी गणों द्वारा मुख्य कार्यपालक महोदय ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, को पत्र दिनांक 29/11/2021/ , O P A ,74337,

ध्यालुसाम